REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261929 CG-DL-E-25032025-261929

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946 No. 146] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

सा.का.नि.181(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रशिक्षण निदेशालय (सिवाय महिला वृत्तिक प्रशिक्षण), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, समूह "ग" गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय में बहुकार्य कर्मचारिवृंद, अवर श्रेणी लिपिक या टंकक, आशुलिपिक श्रेणी-II, प्रवर श्रेणी लिपिक या रोकड़िया या सहायक छात्रावास अधीक्षक, लेखापाल या आंतरिक लेखा परीक्षक या केयर टेकर या छात्रावास अधीक्षक या क्रय सहायक और हिंदी टंकक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (सिवाय महिला प्रशिक्षण) समूह 'ग' गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2025 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं, आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं। 4. निरईता – वह व्यक्ति -

- क. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. बहुकार्य कर्मचारिवृंद	200* (वर्ष 2025)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1	
	*(कार्यभार के आधार पर	सेवा, समूह 'ग',	(18000-56900 रु.)	लागू नहीं
	परिवर्तन किया जा सकता	अनुसचिवीय।		होता।
	है)			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
लिए आयु-सीमासीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
लिए आयु-सीमा(6)(7)18 से 27 वर्ष की आयु के बीच।किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; या(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष
तक शिथिल की जा सकती है।)राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा
अनुमोदित किसी भी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र।विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष
तक शिथिल की जा सकती है।)टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए
जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्प्ण: आयु-सीमा अवधारित करने की टिप्प्ण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के निर्णायक तारीख वह होगी जो विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नत द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पणी : केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
जिनसे प्रोन्नति या		किया जाएगा।
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया		
जाएगा।		
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय- अध्यक्ष; 2. उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय सदस्य; तथा 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों का संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अवर श्रेणी लिपिक	126* (वर्ष 2025)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2	अचयन
या टंकक	*(कार्यभार के आधार पर	सेवा, समूह 'ग',	(19,900-63,200 रु.)	
	परिवर्तन किया जा सकेगा)	अनुसचिवीय।		

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और
अन्य अर्हताएं
(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और
कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति। (35
शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के आधार
पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप हैं)।
कौशल परीक्षण मानदंड केवल कंप्यूटर पर होंगे।
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए
कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
टिप्प्ण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती
हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की राय है कि उनके जिस अपनेत विकित्तों को अपने के लिए अपेशिन अपनेत पाने पत्ने पत्न प्राप्तपत्नों के अपनर्शियों के
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विन्ति परिवीक्षा को सफलतापर्वक	(iii) पांच प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति	भर्ती करने में किन
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	है तो उसकी संरचना	परिस्थितियों में संघ लोक
		सेवा आयोग से परामर्श
		किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:-	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति	
(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पचासी प्रतिशत;	समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	
(ii) रिक्तियों का दस प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1	जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
(18000-56900 रु.) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद में से भरा		
जाएगा, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा		

 जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर, उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। 1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता उद्यमिता निदेशालय - अध्यर्थयों की दशा में पँतालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पंचास वर्ष तक है। टिप्पण 2: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अहिंत खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या परीक्षा में अहिंत होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों की पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अहिंत होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां के संख्ये में पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अहिंत होते हैं। (iiii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 र.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेशित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंन ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर क्षेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परितीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 		
टिप्पण 1: परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु-सीमा सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में पँतालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पचास वर्ष तक है। उद्यमिता टिप्पण 2: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो वाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। 3. पत्र निदेशक भारतीय औशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय- सदस्य; तथा (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पर पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा एता हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर क्षेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक - सदस्य।		1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी
प्रभ्यार्थयों की दशा में पैतालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पचास वर्ष तक है। टिप्पण 2: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर पश्चातवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को सरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारियुंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा रहा हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली	की नियमित सेवा की हो।	क्षेत्रीय कौशल विकास एवं
अनुसूचित जनजातियों की दशा में पचास वर्ष तक है। टिप्पण 2: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, बहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर येणी में प्रोत्नाति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली	टिप्पण 1 : परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु-सीमा सामान्य	उद्यमिता
अनुसूचित जनजातियों की दशा में पचास वर्ष तक है। टिप्पण 2: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो वाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोप्नी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोप्ती अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोप्त के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		निदेशालय -
 टिप्पण 2: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को को भरते के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होते हों ता कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर वहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिस्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा रहा हो, कहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संवंध में भी विचार किया जा रहा हो, कहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संवंध में भी विचार किया जा रहा हो, कहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संवंध में भी विचार किया जा रहा हो, कहां उनके के द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत जिल्होंने प्रेती के लिए अपनी परिवीधा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली 	अनुसूचित जनजातियों की दशा में पचास वर्ष तक है।	
अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो वाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली	टिप्पण 2: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के	
भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्न के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		
वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा एगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रेसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में		2. उप निदेशक भारतीय
बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा एसा स्वह्म्य। यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण
 (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली 		गनानिनेशालग गटाग
बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।.टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक -यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित श्रिक, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक -	 (jij) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयक्तता के आधार पर	
 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली 		
टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		
अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी
अहेक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रान्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		कार्यालय के सहायक निदेशक -
यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		
अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		सदस्य।
हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		
ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली		
हा।		
	हा।	

पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद हो या
	संख्या			अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	· · · ·	(4)	(3)
3. आशुलिपिक श्रेणी -II	25* (2025)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4	लागू नहीं होता।
	* (कार्यभार के आधार	सेवा, समूह 'ग',	(25500-81100 रु.)	
	पर परिवर्तन किया	अनुसचिवीय।		
	जा सकता है)			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और
	(ii) कौशल परीक्षण:-
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए	
गए अनुदेशों या आदेशों के	
अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के	(ख) कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) प्रतिलेखन।
लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा	

	टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	विषया ? अन्धन मंतंधी अर्ननामं कर्मनारी नगन आगोग या मध्यम पाधिकारी के तितेकानसार

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।		भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
		सीधी भर्ती द्वारा ।
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	
	टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित	
	परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के	
	लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का	
	प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
जिनसे प्रोन्नति या		किया जाएगा।
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया		
जाएगा।		
(11)	(12)	(13)
	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार	
लागू नहीं होता।	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
	1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता	
	निदेशालय- अध्यक्ष;	
	.2 उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण	
	महानिदेशालय- सदस्य; तथा	
	3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक -	
	सदस्य।	

पद का नाम	पदों का संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या
				अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. उच्च श्रेणी लिपिक या	99* (2025)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4	अचयन
रोकड़िया या सहायक	*(कार्यभार के आधार पर	सेवा, समूह 'ग',	(25500-81100 रु.) ।	
छात्रावास अधीक्षक (ये पद परस्पर परिवर्तनीय हैं)।	परिवर्तन किया जा सकता	अनुसचिवीय।		
1((1) 11/4/1114 8/1	है)।			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	
(6)	(7)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा; जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या		परिस्थितियों में संघ लोक
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।		सेवा आयोग से परामर्श
		किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:-	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के	
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200	संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
रु.) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक या टंकक		
जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित	 क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं 	
सेवा की है और किसी भी सरकारी मान्यता	,	
प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से माइक्रोसॉफ्ट	उद्यमिता निदेशालय- अध्यक्ष;	
ऑफिस में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण		
सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	2. उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण	
	महानिदेशालय- सदस्य; तथा	
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध		
में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी) 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक	
कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा	निदेशक -	
रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध	सदस्य।	
में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब		
जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी		
अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता		
सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें		
से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने		
अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने		
ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर		
ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के		

लिए	अपनी	परिवीक्षा	की	अवधि
,				ગવાબ
माम्लन	गगर्वक गर	री कर ली हो।		
राक्तलात	।। पूषक पू	रा कर ला हा।		

प्रतिनियुक्तिः	
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारीः	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार	
पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या	
या	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के	
स्तर-2 (19900-63200 रु.) में अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य के पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो।	
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखतें हों, अर्थातः-	
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या	
समतुल्य; और	
(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट यो	
हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति। (35	
शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द	
के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के आधार पर 10500	
केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप है)।	

(iii) स्थापना या लेखा या भंडार अनुभाग या प्रशिक्षण संबंधी कार्य के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,	
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर	
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत	
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

पद का नाम	पदों का संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या
				अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. लेखापाल या आंतरिक	62 [*] (2025)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5	अचयन
लेखा परीक्षक या केयर टेकर	*(कार्यभार के आधार पर	सेवा, समूह 'ग',	(29200-92300 रु.)।	
या छात्रावास अधीक्षक या क्रय सहायक (ये पद परस्पर	परिवर्तन किया जा सकता	अनुसचिवीय।		
क्रय सहायक (य पद परस्पर परिवर्तनीय हैं)।	है) ।			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	
(6)	(7)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा; जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या		परिस्थितियों में संघ लोक
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।		सेवा आयोग से परामर्श
		किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:-	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के	
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक या रोकड़िया	संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
रु.) में एस उच्च त्रणा लिपिक यो राकाइया या सहायक छात्रावास अधीक्षक जिन्होंने		
उपर्युक्त उल्लिखित किन्हीं एक या अधिक	1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं	
पदों पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित	उद्यमिता निदेशालय- अध्यक्ष;	
सेवा की है तथा किसी भी सरकारी मान्यता	2. उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण	
प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से माइक्रोसॉफ्ट	महानिदेशालय- सदस्य; तथा	
ऑफिस में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक	
टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध	निदेशक -	
में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी	सदस्य।	
कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा		

रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तिः	
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारीः	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार	
पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के	
स्तर-2 (25500-81100 रु.) या समतुल्य में नियमित	
आधार पर अवर श्रेणी लिपिक या रोकड़िया या सहायक छात्रावास अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के	
सहायक छात्रायास अवाक्षक के पद पर ानयुक्त क पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो।	
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव	
रखतें हों, अर्थातः-	
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या	
समतुल्य; और	
(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या	
हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाईर्पिंग गति। (35	
शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक	
शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के आधार पर	
10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप है)।	

(iii) पद से संबंधित लेखा या लेखा परीक्षा या केयर	
टेकर, छात्रावास या क्रय क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष	
का अनुभव।	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,	
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर	
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत	
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर।	चयन या अचयन
	संख्या			पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. हिन्दी टंकक ।	01* (2025)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2	लागू नहीं होता।
	*(कार्यभार के आधार	सेवा, समूह 'ग',	(19900-63200 रु.)	
	` पर परिवर्तन किया	अनुसचिवीय।		
	जा सकता है			
	-11 (11/01/0			

<u> </u>	
सीधी भर्ती किए जाने वाले	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और
व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण और;
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी	कम्प्यूटर पर हिन्दी में टाईर्पिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में टाईर्पिंग गति 30 शब्द
किए गए अनुदेशों या आदेशों	प्रति मिनट (30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के आधार पर 9000
के अनुसार विभागीय	केडीपीएच के अनुरूप है)।
अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष	कौशल परीक्षण मानदंड केवल कंप्यूटर पर होंगे।
तक शिथिल की जा सकती है।)	
टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित	टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए
करने की निर्णायक तारीख वह	जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
होगी जो कर्मचारी चयन	टिप्प्ण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार
आयोग द्वारा विज्ञापित की	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती
जाए।	हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की राय है कि उनके
	लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
	पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या
के लिए विहित आयु और शैक्षिक		प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने
लागू होंगी।		वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती के द्वारा ।
	टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा	
	विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा	

करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य	
होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक
भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे		सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया		
जाएगा।		
(11)	(12)	(13)
	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और	
लागू नहीं होता।	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
	1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय- अध्यक्ष;	
	एवं उद्यमिता निदेशालय-अध्यक्ष; 2. उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा,	
	प्रशिक्षण महानिदेशालय- सदस्य; तथा 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के	
	सहायक निदेशक -	
	सदस्य।	

[डीजीटी-स्था./11/2023-ओ/ओ वि.स.(स्था.1) (ई-61462)] ईश्वर सिंह, उपमहानिदेशक (प्रशिक्षण)।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2025.

G.S.R 181.(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training(except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training, Group 'C' Non-Technical posts Recruitment Rules, 2012, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff, Lower Division Clerk or Typist, Stenographer Grade II, Upper Division Clerk or Cashier or Assistant Hostel Superintendent, Accountant or Internal Auditor or Care Taker or Hostel Superintendent or Purchase Assistant and Hindi Typist in the Directorate General of Training under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, namely:—

1. **Short title and Commencement**. -(1) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training, (except Women Training), Group 'C' Non-Technical posts, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to

the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person

and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, economically weaker sections, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

	Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post
					or non-
					selection
					post.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Multi-tasking	200*(2025)		Level-1 in the pay	
	Staff.	*(Subject to variation		matrix (Rs.18000-	Not
		dependent on	Service, Group	56900).	applicable.
		workload).	'С',		
			Ministerial.		

SCHEDULE

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required
	for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age.	10th class pass from a recognised Board; or
(Relaxable for departmental candidates	
upto forty years in accordance with the	National Trade Certificate in any trade pproved by National Council for
instructions or orders issued by the Central	Vocational Training or State Council for Vocational Training.
Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualificationsprescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is itscomposition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to
deputation/absorption is to be made.		be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	 Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training Member; and 3. Assistant Director of another Central Government office Member 	Not applicable.

	Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost or non- selection post.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Lower Division Clerk or Typist.	126*(2025) *(Subject to variation dependent on workload).		Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200).	Non- Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other
(6)	qualifications required for direct recruits.
	7
Between 18 and 27 years of age.	12 th class pass or equivalent from a recognised Board; and
(Relaxable for departmental candidates upto	
forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 w words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).
age-mint shall be as advertised by the Stall	The Skill Test norms only on computer
Selection Commission.	Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
	Note 2 : the qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental	Circumstances
deputation/ absorption, grades from which	Promotion	under which Union
promotion or deputation/absorption to be	Committee exists	Public Service
made.	what is its	Commission is to
	composition.	be consulted in
		making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: -	Group 'C' Departmental	
(i) eighty-five per cent. by direct recruitment	Promotion Committee (for	Not applicable.
through Staff Selection Commission;	considering promotion and	
	confirmation) consisting of :-	
(ii) ten per cent. of the vacancies shall be filled		
from amongst Multi-tasking Staff in level -1 in the		

pay matrix (Rs. 18000-56900) and who possess	1. Regional Director In-	
12th class pass from a recognised board and have	charge Regional	
rendered three years regular service in the grade,	Directorate of Skill	
on the basis of Departmental qualifying	Development and	
examination.	Entrepreneurship -	
	Chairperson;	
Note 1: The maximum age-limit for eligibility for	_	
examination is up to the age forty-five years in case	2. Deputy Director Indian	
of general candidates and upto fifty years in the	Skill Development Service,	
case of candidates belonging to the Scheduled	Directorate General of	
Castes and the Scheduled Tribes.	Training -	
	Member; and	
Note 2: If more of such employees than the	,,	
number of vacancies available under clause (ii)	3. Assistant Director of	
qualifies at the examination, such excess number of	another Central Government	
employees shall be considered for filling the	office	
vacancies arising in the subsequent years so that	Since	
the employees qualifying at an earlier examination	- Member.	
are considered before those who qualify at a later	Weinber.	
examination.		
examination.		
(iii) five per cent. of the vacancies shall be filled on		
seniority-cum-fitness basis from Multi-tasking		
Staff who have completed three years regular		
service in the post in level-1 in the pay matrix		
(Rs.18000-56900).		
Note: Wilson inging who have completed their		
Note: Where juniors who have completed their		
qualifying		
or eligibility service are being considered for		
promotion, their seniors shall also be considered		
provided they are not short of the requisite		
qualifying or eligibility service by more than half		
of such qualifying or eligibility service or two		
years. Whichever is less, and have successfully		
completed probation period for promotion to the		
next higher grade along with their juniors who		
have already completed such qualifying or		
eligibility service.		

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost or non- selection post.
(1) 3. Stenographer Grade II.	(2) 25* (2025) *(Subject to variation dependent on workload).	(3) General Central Service, Group 'C', Ministerial.	(4) Level-4 in the pay matrix (Rs.25500- 81100).	(5) Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications		
(6)	required for direct recruits.		
	(7)		
Between 18 and 27 years of age.	(i) 12 th class pass or equivalent from a recognized board or		
(Relaxable for departmental candidates	University; and		

upto forty years in accordance with the	(ii) Skill Test:-
instructions or orders issued by the Central	
Government).	(a) dictation 10 minutes @ 80 words per minute;
	(b) transcription 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on
Note: The crucial date for determining the	computer.
age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	
Selection Commission.	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff
	selection Commission or competent authority, for reason to be recorded
	in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
	Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the
	discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in
	the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the
	Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection
	Commission or competent authority is of the opinion that sufficient
	number of candidates from these communities possessing the requisite
	experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved
	for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by directrecruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.
	Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	

In case of recruitment	If a Departmental Promotion Committee exists	Circumstances
by promotion or	what is its composition.	under which
deputation /	what is its composition.	Union Public
absorption, grades		Service
1 0		
from which romotion		Commission is
or deputation/		to be consulted
absorption to be		in making
made.		recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for	Not applicable.
	considering confirmation) consisting of :-	
	1. Regional Director In-charge Regional Directorate of	
	Skill Development and Entrepreneurship	
	-Chairperson;	
	2. Deputy Director Indian Skill Development Service,	
	Directorate General of Training	
	-Member; and	
	3. Assistant Director of another Central Government	
	office -Member	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Upper Division Clerk or Cashier or Assistant Hostel Superintendent (these posts are inter- changeable).	99* (2025) *(Subject to variation pendent on workload).	General Central Service, Group 'C' Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500 – 81100).	Non- Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications equired for direct	
(6)	recruits.	
	7	
Not applicable.	Not applicable.	

Whether age and educational qualificationsprescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by directrecruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion; failing which by deputation.

In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee	Circumstances under
promotion or deputation /	exists what is its composition.	which Union Public
absorption, grades from which		Service Commission
promotion or deputation/		is to be consulted in
absorption to be made.		making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable.
Lower Division Clerk or Typist in	(for considering promotion) consisting of :-	
level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-	1. Regional Director In-charge Regional	
63200) with eight years of regular	Directorate of Skill Development and	
service in the grade and having	Entrepreneurship -	
successfully completed two to four	Chairperson;	
weeks training in Microsoft Office	2. Deputy Director Indian Skill Development	
from any Government recognised	Service, Directorate General of Training -	
training institute.	Member; and	
	3. Assistant Director of another Central	
Note1: Where juniors who have	Government office - Member.	
completed their qualifying or		
eligibility service are being considered		
for promotion, their seniors shall also		
be considered provided they are not		
short of the requisite qualifying or		
eligibility service by more than half of		
such qualifying or eligibility service or		
two years, whichever is less, and have		
successfully completed their probation		

period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories administration.	
(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or OR	
(ii) with eight years service rendered after appointment to the post of Lower Division Clerk grade on a regular basis in level-2 in the pay matrix Rs. 19900- 63200.	
(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-	
 (i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board; and (ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). (iii) at least three years' experience in the field of establishment or accounts or store section or training related work. 	
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on the deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3 : the maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
 Accountant or Internal Auditor or Care Taker or Hostel Superintendent or Purchase Assistant. (these posts are inter- changeable). 	62*(2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200- 92300).	Non- Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	
	(7)
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualificationsprescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by directrecruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion; failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion ot deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to beconsulted in making recruitment.
	 Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship Chairperson; Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; and Assistant Director of another Central Government office - Member. 	(13) Not applicable.

6. Hindi Typist.	01*(2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Not applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	or non- selection post. (5)
Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost
deputation. Similarly, shall not be eligible for appointment by promotion Note 2: The period of another ex-cadre post he preceding this appointment some other organisation of the Central Government not exceed three years. Note 3: The maximum appointment by deputation exceeding fifty-six years and date of receipt of application	a the direct line of be eligible for oppointment on he deputationist consideration for a. of deputation f deputation f deputation in eld immediately at in the same or or department of shall ordinarily m age-limit for on shall be not as on the closing ons.	Classification.	Level in the pay	Whether
(ii) possessing experience Audit or caretaker, Ho relevant to the post.				
Deputation: Officers of the Central State Government or U administration,— (a)(i) holding analogous basis; or (ii) with five years' serv appointment to the post of Clerk or Cashier or Superintendent on a regul in the pay matrix Rs. 2550 (b) possessing the follo qualifications and experier (i) 12 th class pass or eq recognized Board; and (ii)a typing speed of 35 in English or 30 words pe on computer. (35 words p words per minute correc KDPH/9000 KDPH on an depressions for each word	nion territories post on regular ice rendered after f Upper Division Assistant Hostel ar basis in level-4 0-81100. wing educational nee namely;— uivalent from a words per minute r minute in Hindi per minute and 30 spond to 10500 average of 5 key			
grade along with their j already completed sucl eligibility service.				

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	
	7
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	 12th pass from a recognised Board and; A typing speed of 30 words per minute in Hindi and typing speed of 30 words per minute in English on computer. (30 words per minute correspond to 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). The Skill Test norms only on computer. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: the qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	1 / 2	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee	Circumstances under
promotion or deputation /	exists what is its composition.	which Union Public
absorption, grades from which		Service Commission is to
promotion or deputation/		beconsulted in making
absorption to be made.		recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for	Not applicable.
	considering confirmation) consisting of :-	
	1. Regional Director In-charge Regional	
	Directorate of Skill	
	Development and Entrepreneurship-	
	Chairperson;	
	2. Deputy Director Indian Skill Development Service,	
	Directorate General of Training - Member;	
	and	
	3. Assistant Director of another Central Government	
	office - Member.	

[F. No. DGT-Estb/11/2023-O/oDEPT. SECY (ESTT.I) (E-61462)]

ISHWAR SINGH, Deputy Director General (Training)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-1s10054.